# विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 1051 दिनांक : 7/8/17

प्रति,

प्राचार्य,
शा. महाविद्यालय,आलोट,
जिला–रतलाम।

**विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।**

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 123,दिनांक 28.05.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / संबद्धता–निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि,शा.महाविद्यालय,आलोट,जिला–रतलाम,में सत्र 2017–18,से बी.एससी.–प्रथम वर्ष,(आ.पा. ,भौतिकी, रसायन,वनस्पति,) एवं अतिरिक्त विषय(प्राणिकी एवं गणित) पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 से बी.एससी. –प्रथम वर्ष,(आ.पा.,भौतिकी,रसायन,वनस्पति,)एवं अतिरिक्त विषय(प्राणिकी,एवं गणित),पाठ्यक्रम की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर सशर्त प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :–

| क्रं. | पाठ्यक्रम | सीट संख्या |
|---|---|---|
| 01. | बी.एसी.–प्रथम वर्ष.(विज्ञान समूह–भौतिक,रसायन,गणित,आ.पा.) | 60 |
| | (जीवविज्ञान समूह–प्राणिकी,वनस्पति,रसायन,आ.पा.) | 60 |

शर्तें :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

02. रसायन, भौतिकी, प्राणिकी,एवं वनस्पतिकी विषयों की प्रयोगशालाओं में शीघ्र उपकरणों से सज्जित करें, एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जाये।

03. उपरोक्त विषयों की कम से कम 50–50 पुस्तकें शीघ्र खरीदी जाये।

04. विज्ञान विषय में 05 पद स्वीकृत है, लेकिन कोई शिक्षक नहीं है। अतः शीघ्र ही शासन से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करवायी जाये।

**उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण कर विश्वविद्यालय को अवगत करावें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।**

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

# विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 112 दिनांक :- 3/6/17

-:: सूचना ::-

शिक्षा सत्र 2017-18 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता-निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

**A महाविद्यालय का नाम :- शा. महाविद्यालय,आलोट,जिला-रतलाम।**

**B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम** :-(1) बी.एससी.-प्रथम वर्ष (भौतिकी,रसायन,वनस्पति,आ.पा.)
गैर स्ववित्तीय पाठ्यक्रम
अतिरिक्त विषय (गणित,प्राणिकी)
गैर स्ववित्तीय पाठ्यक्रम

**C समिति के सदस्यों के नाम :-**

01. प्रो. बी.के.मेहता - आचार्य,रसायन अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
02. प्रो. जे.आर.सिंह - आचार्य,सांख्यिकी अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
03. प्रो. स्वाति दुबे - उपाचार्य,भौतिकी अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, न निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन,क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तो की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाए अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाऐं/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता निरंतरता दी जा सके। विडीयोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक,यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

01C

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

## विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा

महाविद्यालय का नाम :– शासकीय महाविद्यालय, आलोट

निरीक्षण तिथि 07-07-17

सम्बद्धता हेतु पाठ्यक्रम/विषय B.Sc. I yr. Botany, chemistry, Physic + FC
additional subjects Maths & Zoology

सम्बद्धता हेतु प्रस्ताव :–

1. प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय की सम्बद्धता।
2. पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/विषय /नवीन पाठ्यक्रम की निरन्तरता/सम्बद्धता हेतु।
3. पूर्व स्वीकृत विद्यार्थियो की संख्या मे वृद्धि।
4. स्थाई सम्बद्धता।

**महाविद्यालय का निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति ने किया ।**

**निरीक्षण समिति की अनुशंसा निम्नानुसार है :–**

परिनियम क्र. 27 एवं 28 के अनुसार महाविद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अध्यापन हेतु उपलब्ध संसाधनो व सुविधाओं के अवलोकन एवं उनकी उपलब्धता के समर्थन में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर समिति अनुशंसा करती है, कि महाविद्यालय को आवेदित उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2017-18 में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने/सीट वृद्धि करने पर विचार किया जा सकता है।

महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम/विषय में निम्नानुसार अधिकतम विद्यार्थियो की प्रवेश संख्या के साथ अस्थायी सम्बद्धता दी/सीट वृद्धि की जा सकती है :–

| पाठ्यक्रम का नाम | अधिकतम सीट संख्या |
|---|---|
| B.Sc. I, Science, Physics, Chemistry, ~~Botany~~, FC, Maths. | 60 |
| B.Sc. I, Life Science, Zoology, Botany, chemistry, FC | 60 |

निरिक्षण समिति यह अनुशंसा करती है कि महाविद्यालय को निम्नांकित बिन्दुओं की पूर्ति अतिशीघ्र करने की प्रत्याशा में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की/सीटो में वृद्धि की जा सकती है।

01. रसायन, भौतिकी प्राणिकी एवं वानस्पतिक विषयो की प्रयोगशाला में शीघ्र
02. उपकरणो से सज्जित करें। एवं आवश्यक सुविधाए उपलब्ध करवायी जाये
03. उपरोक्त विषयो की कम से कम 50-50 पुस्तके शीघ्र खरीदी जाये
04. विज्ञान विषय मे 5 पद स्वीकृत है लेकिन कोई शिक्षक नही है अतः शीघ्र
05. शासन से अतिथि शिक्षको की नियुक्ति करवायी जाये।

सदस्य 7/7/17 सदस्य 7/7/17 सदस्य 7.7.17

(सहायक कुलसचिव अकादमिक – संयोजक)

D:/vyas80